भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
16.08.2012 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 625

नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सुरक्षा संबंधी समीक्षा

625. श्री के.एन. बालगोपाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय सुरक्षा विनियमों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से क्रमशः नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और विनियामक प्रणाली की सक्षम अधिकरणों द्वारा विशिष्ट समीक्षा कराए जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के मिशनों नामतः प्रचालनात्मक सुरक्षा समीक्षा दल (ओ.एस.ए.आर.टी.) और एकीकृत विनियामक समीक्षा सेवाएं (आई.आई.आर.एस.) को औपचारिक आमंत्रण भेजे गए हैं:

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
(श्री वी. नारायणसामी)

(क) जी, हाँ। नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की सुरक्षा की पीयर पुनरीक्षा करने के लिए प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल (ओएसएआरटी) को आमंत्रित किया गया है। एकीकृत नियामक पुनरीक्षा सेवा (आईआरआरएस) के मामले में, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की नियामक प्रणाली की पीयर पुनरीक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है।

(ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रावतभाटा, राजस्थान स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर 3 तथा 4 की पुनरीक्षा करने के लिए प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल का पहला मिशन 29 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2012 के दौरान चलाया जाएगा।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

****